दिनांक 03.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 06/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

यूपी 100 के 18 दिवसीय चतुर्थ सर्टिफिकेशन कोर्स का समापन

आज दिनांक 30.10.2019 को यूपी 100 मुख्यालय लखनऊ में 104 अप्रशिक्षित पीआरवी कर्मियों (कमाण्डर/सबकमाण्डर) का 18 दिवसीय चतुर्थ सर्टीफिकेशन कोर्स का समापन समारोह हुआ। जिसमें **मुख्य अतिथि श्री ए0 पलनिवेल, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक व विशिष्ट अतिथि श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को आशीर्वचन दिया गया।**

इस 18 दिवसीय प्रशिक्षण में पीआरवी कर्मियों को आपदा प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का कैसे समाधान करें एवं आग, एक्सीडेन्ट में किस तरह की कार्यवाही की जाये तथा जनता एवं पीड़ित व्यक्ति से कैसे व्यवहार करें, इस संबंध में अधिक जोर दिया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा रिस्पांस टाइम कम करने के साथ–साथ पीआरवी कर्मियों को अपने और अच्छे व्यवहार के साथ प्रभावी कार्यवाही करने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि श्री ए0 पलनिवेल द्वारा पुलिस में आधुनिक तकनीक का समावेश एवं उसका प्रयोग इस तरह किया जाये कि जनता को अधिक लाभ पहुंचे इसके बारे में बताया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक आईटेक्स/यूपी–100 द्वारा पीआरवी कर्मियों को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील रहने एवं प्रभावी कार्यवाही करने पर जोर दिया गया।

दिनांक 03.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 05/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा ई–सिगरेट के निषेध के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में दिये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को ई–सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं विज्ञापन आदि पर रोक लगाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2019 को निर्गत अध्यादेश के क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। अध्यादेश के मुख्य बिन्दु :–

- ई–सिगरेट जिसमें निकोटिन प्रदान करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक यंत्र शामिल हैं, अज्वलनशील उत्पाद जो गर्मी देते हों, जैसे ई–हुक्का और इसी प्रकार के अन्य यंत्र, जो किसी भी प्रकार के नाम से बोले जाते हों तथा किसी भी शेप, साईज या अन्य किसी प्रकार के हों लेकिन ड्रग्स एण्ड़ कास्मेटिक्स एक्ट–1940 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्तकर्ता न हो।

  (E-cigarettes includes all forms of Electronic Nicotine Delivery Systems, Heat Not Burn Products, e-Hookah and the like devices, by whatever name called and whatever shape, size or form it may have, but does not include any product licensed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940)

- ई–सिगरेट अथवा यंत्र के किसी भाग का जैसे रिफिलपाडस्, कार्टिडेजस, एटोमाइजर्स इत्यादि का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं विज्ञापन निषिद्ध है। ऑन–लाईन विक्रय और विज्ञापन भी निषिद्ध होगा।

  (Production, Manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of electronic-cigarettes or any parts or components thereof such as refill pods, atomisers, cartridges etc, is prohibited. Online sate and advertisement have also been prohibited)

- सजा–उक्त का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण एवं विज्ञापन आदि पर 01 वर्ष की सजा अथवा 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों होंगे। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर 03 वर्ष की सजा अथवा 05 लाख तक का जुर्माना होगा, यह संज्ञेय अपराध होगा।

  (Punishment: For productions, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution and advertisement-imprisonment upto one year or fine up to rupees one lakh or both. For subsequent offence, imprisonment upto three years and fine upto rupees five lakh. It shall be a cognizable offence)

- भंण्डारण के लिए 06 माह का कारावास अथवा 50 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों होंगे।

  (For storage-Imprisonment upto six monts or fine upto rupees fifty thousand or both)

- ई–सिगरेट इत्यादि के सर्च एवं सिजर के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक स्तर का होगा। केन्द्र/राज्य सरकार अन्य अधिकारियों के लिए इस निमित्त अधिकृत कर सकती है।

  (Sub-Inspector of Police is the Authorized Officer to conduct search and seizure. Other Officeers can also be notified as Authorized Officer by Central/State Governments.)

- अध्यादेश के प्रारम्भ की तिथि पर जिन लोगों के पास ई–सिगरेट का स्टाक होगा, उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी के अपना स्टाक स्वतः संज्ञान लेते हुए निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करा दें।

  (An opportunity is provided to the owners of existing stocks of e-cigarettes on the date of commencement of the Ordinance to suomoto declare and deposit these stocks at the nearest police station without unnecessary delay)

सभी को निर्देशित किया गया कि अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधानों का स्वयं अध्ययन करते हुये एक सेमिनार का आयोजन कर अपने–अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को विस्तार से अवगत कराकर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 80 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात/बर्तन**
- **चोरी के 03 लाख रू0 नगद आदि बरामद**

दिनांक 03.10.2019 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत शातिर अभियुक्त दिनेश उर्फ टोरी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर चोरी के लगभग 80 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात/बर्तन एवं चोरी के 03 लाख रू0 नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27/28.09.2019 को थाना कोतवाली पर श्री युगल किशोर अग्रवाल, कपडा व्यवसायी के घर में हुई चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 748/2019 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 748/2019 धारा 457/380 भादवि की घटना कारित करना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. दिनेश उर्फ टोरी निवासी मो0 दलपत खिडकी फूल गली थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1. चोरी के लगभग 80 लाख रू0 कीमत के सोने–चांदी के जेवरात/बर्तन
   (सोने का डायमण्ड का नग माला सेट कानो सहित, पोलकी डायमण्ड का बडा सेट कानों सहित, डायमण्ड की सोने की चेन के साथ सेट कानों सहित, डायमण्ड का लाल नग पैन्डेट कानों सहित, बड़ा गोल डायमण्ट पैन्डेट, नवरत्न गले का सोने का सेट कानों सहित, गिन्नी वाला पैण्डेट सेट कानों सहित, चांद वाली पैण्डेट सेट सोने का कानों सहित, कुन्दर ससोने का चैन सेट कानो सहित, नवरत्न सोने के 02 झुमके, डायमण्ड के सोने के 02 पचेली कंगन, कुन्दन सोने के चार कंगन, सोने के 02 ब्रेसलेट, ससोने की 02 लेडीज चूडी, डायमण्ड का 01 कडा, डायमण्ट स सोने की 13 अंगूठी लेडीज व जेन्टस, चांदी की पायल 01 जोडी, चांदी की 01 कृष्ण जी की मूर्ति छोटी, चांदी के 13 सिक्के गोल व चौकोर, चांदी के 21 ग्लास छोट व बडे , चांदी की 09 कटोरी, चांदी के 02 लोटे, चांदी की 07 चम्मच, चांदी की 05 प्लेट, 01 हटरी टूटी हुई चांदी की, चांदी की गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्ति आदि)
2. चोरी के 03 लाख रू0 नगद आदि

जनपद एटा/थाना अलीगंज

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 30 हजार रू0 नगद**
- **01 तमंचा मय कारतूस**
- **लूट की घटना में मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.10.2019 की रात्रि थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अगौनापुर गेट के पास चेकिंग के दौरान बदमाश संतराम को मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश मोटर साइकिल से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 30 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा मय कारतूस व लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने दिनांक 30.09.2019 को थाना अलीगंज में हुई लूट की घटना को अपने साथियों सहित अन्य लूट की घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 315/2019 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संतराम निवासी रजपुरा थाना नयागॉव जनपद एटा।

बरामदगी

1. लूट के 30 हजार रू0 नगद
2. 01 तमंचा मय कारतूस
3. लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर

- **20—20 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 02.10.2019 की रात्रि को थाना कोतवाली अकबरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत पुरस्कार घोषित 02 अपराधी 1.फिरोज अहमद, 2.जुबेर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 366/376डी, 368/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20–20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. फिरोज अहमद निवासी टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर/महुवापार थाना कलवारी जनपद बस्ती/हाजीबन्दर रोड इन्द्रागांधीनगर शिवडी ईस्ट मुम्बई।

2. जुबेर अहमद निवासी टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर/महुवापार थाना कलवारी जनपद बस्ती/हाजीबन्दर रोड इन्द्रागांधीनगर शिवडी ईस्ट मुम्बई।

जनपद शामली/थाना कांधला

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.10.2019 को थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी आशुतोष व अभियुक्त शुभम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कांधला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/2019 धारा 420/342/201/389 भादवि व मु0अ0सं0 356/2019 धारा 452/323/376डी/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, अभियुक्त आशुतोष की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आशुतोष निवासी मो0 रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।
2. शुभम निवासी मो0 रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.10.2019 की रात्रि थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी बी.आई.टी. से बेहडा रोड ककरौली बार्डर पर चेकिंग के दौरान बेहडा की ओर से आने वाले मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी अलीम उर्फ आलम उर्फ तौसीफ घायल हो गया, जिसे अन्य अपराधी तनवीर उर्फ वकील सहित गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अलीम उर्फ आलम उर्फ तौसीफ के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हरिद्वार आदि जनपदों के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद मुरादाबाद के थाना पाकवाडा के मु0अ0सं0 432/2018 धारा 395/397 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद मुरादाबाद से 15 हजार एवं जनपद हरिद्वार के थाना कलियर रूडकी के मु0अ0सं0 195/2018 धारा 395 भादवि तथा थाना कनखल के मु0अ0सं0 372/2018 धारा 395/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद हरिद्वार से

1500 रू0 का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त तनवीर उर्फ वकील जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अलीम उर्फ आलम उर्फ तौसीफ निवासी ग्राम डेरा ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
2. तनवीर उर्फ वकील निवासी ग्राम डेरा ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल

जनपद गाजियाबाद/थाना मसूरी

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 03.10.2019 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएमएस कालेज तिराहा के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी नरेन्द्र उर्फ पिन्टू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2017 धारा 363/366 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नरेन्द्र उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम दीनानाथपुर पूठी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

जनपद गाजीपुर/थाना खानपुर

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 03.10.2019 को थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बिहारीगंज रेलवे क्रासिंग के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी मुनीब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लंका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/2019 धारा 323/395/342/412/413/414/120 बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मुनीब निवासी ग्राम जमीन सन्दल थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 03.10.2019 को थाना जेठवारा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोनी नदी पुल सराय मकई के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना जेठवारा पंजीकृत मु0अ0सं0 135/19 धारा 302ए, 120 बी

भादवि व मु0अ0सं0 259/19 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था। पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी भगवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2–01 मोटरसाइकिल बरामद

जनपद प्रतापगढ़/थाना सांगीपुर

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.10.2019 को थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहाड़पुर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सांगीपुर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक सरोज निवासी पूरे पाण्डेय पतुलकी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–01 तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस

2–01 मोटरसाइकिल बरामद

––––